

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अधिकारी, निवाई (टोंक-राज.)

बनाम उमेश चंद्र शर्मा ..... किस्म मुकदमा आपरा 186 त 12 सी 181  
नं. 195 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/07/19	पत्रावली तहसीलदार निवार ने प्रेश की। अपलोड किया गया। आ. पत्र दर्ज रजिस्टर हो उरि पक्षीकन को परिमै तो रिह लालक करे। पत्रावली दिनांक 18/7/19 को पेश की।	31/08/19
18/7/19	[Stamp: उमेश चंद्र शर्मा, निवाई, टोंक-राज. दिनांक 18/7/19] को पेश की।	
29-8-19	पत्रावली पेश की। प्रौढार लखार उप/उमेश चंद्र शर्मा अनुपत्रावली वास्तु सक्रिय कार्यवाही दि. 12-9-19 को पेश की।	
2-9-19	पत्रावली पेश की। प्रौढार लखार उप/उमेश चंद्र शर्मा का आवलोकन किया गया। इस प्रकरण में नियमावली तहसीलदार निवाई के तहत तदधीन ही जा लकरी है। अतः हल पत्र मय दाताकेजात नियमावली तदधीन हेतु निर्देशों के तहत तहसीलदार निवाई को वापस भेजा जावे। पत्रावली फिलहाल होकर लालक के वकालत दाखल हुआ है।	

31/08/19

उमेश चंद्र शर्मा, निवाई, टोंक-राज. दिनांक 18/7/19 को पेश की।

[Signature]